

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20.01.2023

जाहद वपुरी

पत्रावली पेश हुई।


वादी वकील उपस्थित।

वादी मय वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का खातेदारान मे आपसी सहमति से विभाजन करवा दिया है। और वादी स्वयं ने अपने नहेरसे की भूमि का प्रतिवादी को बेचान कर दिया है।

इस प्रकार वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई अवलोकन शेष नहीं है। अतः वाद जरिये विद्वो खारिज किया जाता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया।
चूंकि वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है, और इसलिए वादी जरिये विद्वो वाद खारिज करवाना चाहते हैं।

लिराजा वाद जरिये विद्वो खारिज किया जाता है।

पत्रावली कंसल शुमार होकर दा  दफ्तर हो।

दफ्तर
जज